संख्याः 351 /XXIV-3/08/02(79)2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 24–मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिसोगिलानी, देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख1/61282/टी0एस0पी0/2007–08/ दिनांक 19 फरवरी, 2008 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 399/XXIV-3/06/02(79)2006; दिनांकः 22 अगस्त, 2006 एवं शासनादेश संख्याः1253/XXIV-3/07/02(79)2006; दिनांकः 01 नवम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ट्राईबल सब प्लान (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिसोगिलानी, देहरादून के भवन निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 79.65 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 59.65 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्याः1010/XXIV-3/2007/02 (20)2007; दिनांकः 03 अगस्त, 2007 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 90.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1)– उपर्युक्त विद्यालयों के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(6)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा। अतः कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः.....2

(7)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10)– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करनें पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण का विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दे एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हॉस्टलों का निर्माण एच0आई0सी0 के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आगणन गठित किये जायें।

(12)– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(13) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जंहा आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–31 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03–माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार –24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1184(P)XXVII(3)08/वित्त (व्यय नियंत्रण) दिनाँकः 20.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

क्रमशः.....3

पृष्ठांकन संख्याः 351 (1)/XXIV-3/08/02(79)2006; तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्ड़ल – पौड़ी।
8– जिलाधिकारी, देहरादून।
9– कोषाधिकारी, देहरादून।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13– कार्यालय मा0 मुख्यमंत्री, घोषणा अनुभाग।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव